

03/10/24

पञ्चावली वास्वे त्तिण्डि पेशे दुनि उमय फर
उफ। पार वारी ण स्वीकार डिफा जाता ह्यै
विस्तृत त्तिण्डि कलम से शामिल डिफा गफन
डिफ्री जारी ह्यै नंकर ते उम ह्यै।

आदेश दुनाफ गफन

उपखण्ड अधिकार
सूरतगढ़ (राज.)



GICMS

2023/414

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: कपिल कुमार यादव आर. ए. एस.

दायर दिनांक 23-01-2023

प्रकरण सं० 18/23 G.C.M.S.-2023/414

- 1- बलवन्त } पिसरान गुरमुखराम अकवाम कुम्हार साकिनान लखासर तहसील
2- सतपाल } पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज०

----- वादीगण

बनाम

- 1- मनीराम } पिसरान गुरमुखराम अकवाम कुम्हार साकिनान लखासर तहसील
2- कानाराम } पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज०
3- दयाराम }

4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ । ----- प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-

- 1- राजवीर भादू अभिभाषक वादीगण ।
2- रामनारायण जालप प्रतिवादी न० 1 ता 3
3- पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

---:-- निर्णय ---:

दिनांक :- 07.6/2024



आज पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं वादीगण व प्रतिवादी न० 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि वाके चक 2 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 64 नया 18 पुराना के प० न० 167/6 मु० न० 18 के किला न० 1/1 में 0.203 है०, 2 ता 9/2.024 है०, 20/1 में 0.202 है०, 21/1 में 0.202 है०, 22 ता 24/0.759 है० = 5.819 है० अ०क०, प० न० 167/14 मु० न० 17 के किला न० 1 ता 20/5.060 है०, 22 ता 25/1.012 है० = 6.072 है० अ०क० कुल तादादी 11.891 है० अ०क० खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। उक्त जैरवाद रकबा वादीगण एवं प्रतिवादी न० 1 ता 3 के पिता गुरमुखराम के नाम से था गुरमुखराम के देहान्त के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी न० 1 ता 3 को विरास्तन प्राप्त रकबा है जिस पर आपसी घंरू बंटवारा लगभग 20 वर्षों से कर अपने अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें आपसी सहमति एवं रजामन्दी से घरेलू बंटवारा कर भूमि को अपने अपने कब्जा काश्त में करते आ रहे हैं। उक्त बंटवारे शुरू से चला आ रहा है वाद-पत्र के दोनो ही पक्षकारो के द्वारा कब्जा काश्त भूमि में शान्ति पूर्वक जैरवाद रकबा काश्त करते आ रहे हैं। मिकर एवं प्रतिवादीगण बीच जैरवाद भूमि के बाबत कोई कब्जा बाबत विवाद नहीं है। जैरवाद रकबा वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का आपसी घंरू बंटवारा कर लिया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये गये घरेलू बंटवारे के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के रास्ता/खाला को मध्य नजर रखकर बंटवारा किया गया है जिसके मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी न० 1 ता 3 का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से चला आ रहा है बलवन्त के कब्जा काश्त का रकबा वाके चक 2 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 64 के प० न० 167/6 मु० न० 18 के किला न० 3/0.235 है० पूर्वी पासा, 4/0.238 है० पश्चिम पासा, 7/0.238 है० पश्चिम पासा, 8/0.235 है० पूर्वी पासा, 13/0.235 है० पूर्वी पासा, 14/0.238 है० पश्चिम पासा, 17/0.225 है० पश्चिम पासा, 18/0.235 है० पूर्वी पासा, 23/0.235 है० पूर्वी पासा, 24/0.253 है० कुल 2.367 है० अ०क० खातेदारी भूमि, सतपाल के कब्जा काश्त रकबा वाके चक 2 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 64 के प० न० 167/14 मु० न० 17 के किला न० 2/0.169 है० पूर्वी पासा, 3/0.253 है०, 4/0.032 है० पश्चिम पासा, 7/0.032 है० पश्चिम पासा, 8/0.253 है०, 9/0.173 है० पूर्वी पासा, 12/0.193 है० पूर्वी पासा, 13/0.253 है०, 14/0.032 है० पश्चिम पासा, 17/0.033 है० पश्चिम पासा, 18/0.253 है०, 19/0.173 है० पूर्वी पासा, 22/0.253 है०, 23/0.253 है०, 24/0.173 है० पश्चिम पासा कुल 2.368 है० अ०क० खातेदारी भूमि, मनीराम के कब्जा काश्त रकबा वाके चक 2 एस

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

आर पी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 64 के प0 न0 167/14 मु0 न0 17 के किला न0 4/0.221 है0 पूर्वी पासा, 5-6/0.506 है0, 7/0.221 है0 पूर्वी पासा, 14/0.221 है0 पूर्वी पासा, 15-16/0.506 है0, 17/0.220 है0 पूर्वी पासा, 24/0.220 है0 पूर्वी पासा, 25/0.253 है0 कुल 2.368 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि, कानाराम के कब्जा काश्त रकबा वाके चक 2 एस आर पीएम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 64 के प0 न0 167/6 मु0 न0 18 के किला न0 1/1 में 0.203 है0, 2/0.253 है0, 3/0.018 है0 पश्चिम पासा, 8/0.018 है0 पश्चिम पासा, 9/0.253 है0, 10/1 में 0.202 है0, 11/1 में 0.203 है0, 12/0.253 है0, 13/0.018 है0 पश्चिम पासा, 18/0.018 है0 पश्चिम पासा, 19/0.253 है0, 20/1 में 0.202 है0, 21/1 में 0.202 है0, 22/0.253 है0, 23/0.018 है0 पश्चिम पासा कुल 2.367 है0 खातेदारी भूमि, दयाराम के कब्जा काश्त रकबा वाके चक 2 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 64 के प0 न0 167/6 मु0 न0 18 के किला न0 4/0.015 है0 पूर्वी पासा, 5/0.250 है0, 6/0.253 है0, 7/0.015 है0 पूर्वी पासा, 14/0.015 है0 पूर्वी पासा, 15-16/0.506 है0, 17/0.028 है0 पूर्वी पासा = 1.082 है0 अ0क0 एवं प0 न0 167/14 मु0 न0 17 के किला न0 1/0.228 है0 दक्षिण पासा, 2/0.059 है0 पश्चिम पासा, 9/0.080 है0 पश्चिम पासा, 10-11/0.506 है0, 12/0.080 है0 पश्चिम पासा, 19/0.080 है0 पश्चिम पासा, 20/0.253 है0 = 1.286 है0 अ0क0 कुल 2.368 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि, वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसीसहमति से रास्ता की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए प0 न0 167/6 के किला न0 5 में 0.003 है0 (20फुट × 20फुट) उत्तर पूर्वी कोणा एवं प0 न0 167/14 के किला न0 1/0.25 है0 उतर पासा, किला न0 2 में 0.025 है0 उतर पासा = 0.050 है0 भूमि गै0मु0 रास्ता में दर्ज करवाना चाहते है। इसी कब्जा अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जावे। जैश्रवाद रकबा पर घरू बंटवारा अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण कासत करते आ रहे है। वादीगण द्वारा अपने उक्त वर्णित रकबा में भारी खर्चा लगाकर गोबर की खाद डाल कर हजारों रूपये का करावा लगाकर समतल किया तथा कृषि योग्य उपजाऊ बनाया है। वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम जैरवाद रकबा संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज-खाद उर्वरक आदि नहीं मिल पाते है तथा सरकार समय-2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है।



वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी न0 1 ता 3, की तरफ से विद्वान अभिभाषक रामनारायण जालप उपस्थिति होकर प्रतिवादी न0 1 ता 3 द्वारा इकबाल जबाब दावा प्रस्तुत कर दावा खिची किये जाना स्वीकार किया। इस आधार पर दोनों पक्षों में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई। पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य वादीगण द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

वकील वादीगण ने वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण जैरवाद भूमि का खाता विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने इकबाल जबाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त जैरवाद रकबा पर कब्जा कास्त चल आ रहा है इसी के अनुसार खाता विभाजन करवाने के इच्छुक है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद-पत्र के तथ्यों में आपसी बंटवारे पर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए वाके चक 2 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 64 नया 18 पुराना के पं0 न0 167/6 मु0 न0 18 के किला न0 1/1 में 0.203 है0, 2 ता 9/2.024 है0, 20/1 में 0.202 है0, 21/1 में 0.202 है0, 22 ता 24/0.759 है0 = 5.819 है0 अ0क0, प0 न0 167/14 मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 20, 22 ता 25 में 6.072 है0 अ0क0 कुल तादादी 11.891 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि का खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा वाके चक 2 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 64 नया 18 पुराना के पं0 न0 167/6 मु0 न0 18 के किला न0 1/1 में 0.203 है0, 2 ता 9/2.024 है0, 20/1 में 0.202 है0, 21/1 में 0.202 है0, 22 ता 24/0.759 है0 = 5.819 है0 अ0क0, प0 न0 167/14 मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 20, 22 ता


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(प्र0स0 18/23 बलवन्त वगैरा बनाम मनीराम वगैरा)
 25 में 6.072 है0 अ0क0 कुल तादादी 11.891 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी
 स0 1 ता 3 के नाम निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:-

क. स.	नाम काश्तकार	चक	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1	बलवन्त पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/6 (18)	3/0.235 है0 पूर्वीपासा, 4/0.238 है0 पश्चिम पासा, 7/0.238 है0 पश्चिम पासा, 8/0.235 है0 पूर्वी पासा, 13/0.235 है0 पूर्वी पासा, 14/0.238 है0 पश्चिम पासा, 17/0.225 है0 पश्चिम पासा, 18/0.235 है0 पूर्वी पासा, 23/0.235 है0 पूर्वी पासा, 24/0.253 है0 कुल 2.367 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि
2	सतपाल पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/14 (17)	2/0.169 है0 पूर्वी पासा, 3/0.253 है0, 4/0.032 है0 पश्चिम पासा, 7/0.032 है0 पश्चिम पासा, 8/0.253 है0, 9/0.173 है0 पूर्वी पासा, 12/0.193 है0 पूर्वी पासा, 13/0.253 है0, 14/0.032 है0 पश्चिम पासा, 17/0.033 है0 पश्चिम पासा, 18/0.253 है0, 19/0.173 है0 पूर्वी पासा, 22/0.253 है0, 23/0.253 है0, 24/0.173 है0 पश्चिम पासा कुल 2.368 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि
3	मनीराम पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/14 (17)	4/0.221 है0 पूर्वी पासा, 5-6/0.506 है0, 7/0.221 है0 पूर्वी पासा, 14/0.221 है0 पूर्वी पासा, 15-16/0.506 है0, 17/0.220 है0 पूर्वी पासा, 24/0.220 है0 पूर्वी पासा, 25/0.253 है0 कुल 2.368 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि
4	कानाराम पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/6 (18)	1/1 में 0.203 है0, 2/0.253 है0, 3/0.018 है0 पश्चिम पासा, 8/0.018 है0 पश्चिम पासा, 9/0.253 है0, 10/1 में 0.202 है0, 11/1 में 0.203 है0, 12/0.253 है0, 13/0.018 है0 पश्चिम पासा, 18/0.018 है0 पश्चिम पासा, 19/0.253 है0, 20/1 में 0.202 है0, 21/1 में 0.202 है0, 22/0.253 है0, 23/0.018 है0 पश्चिम पासा कुल 2.367 है0 खातेदारी भूमि
5	दयाराम पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/6 (18) 167/14 (17)	4/0.015 है0 पूर्वी पासा, 5/0.250 है0, 6/0.253 है0, 7/0.015 है0 पूर्वी पासा, 14/0.015 है0 पूर्वी पासा, 15-16/0.506 है0, 17/0.028 है0 पूर्वी पासा = 1.082 है0 अ0क0 1/0.228 है0 दक्षिण पासा, 2/0.059 है0 पश्चिम पासा, 9/0.080 है0 पश्चिम पासा, 10-11/0.506 है0, 12/0.080 है0 पश्चिम पासा, 19/0.080 है0 पश्चिम पासा, 20/0.253 है0 = 1.286 है0 अ0क0 कुल 2.368 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि
6	गै0मु0 रास्ता	2 एस आर पी एम	167/6 (18) 167/14 (17) एम	5 में 0.003 है0 (20फुट × 20फुट) उत्तर पूर्वी कोणा 1/0.025 है0 उत्तर पासा, 2/0.025 है0 उत्तर पासा = 0.050 है0 कुल 0.053 है0 गै0मु0 रास्ता



इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (संदीप कुमार)
सुपरवण्ड अधिकारी
 सहायक कलेक्टर एवं
सुरतगढ़ (राज.)
 सुपरवण्ड अधिकारी
 (राजस्व) सुरतगढ़

3	मनीराम पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/14 (17)	4/0.221 है0 पूर्वी पासा, 5-6/0.506 है0 , 7/0.221 है0 पूर्वी पासा, 14/0.221 है0 पूर्वी पासा, 15-16/0.506 है0 , 17/0.220 है0 पूर्वी पासा, 24/0.220 है0 पूर्वी पासा, 25/0.253 है0 कुल 2.368 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि
4	कानाराम पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/6 (18)	1/1 में 0.203 है0 , 2/0.253 है0 , 3/0.018 है0 पश्चिम पासा, 8/0.018 है0 पश्चिम पासा, 9/0.253 है0 , 10/1 में 0.202 है0 , 11/1 में 0.203 है0 , 12/0.253 है0 , 13/0.018 है0 पश्चिम पासा, 18/0.018 है0 पश्चिम पासा, 19/0.253 है0 , 20/1 में 0.202 है0 , 21/1 में 0.202 है0 , 22/0.253 है0 , 23/0.018 है0 पश्चिम पासा कुल 2.367 है0 खातेदारी भूमि
5	दयाराम पुत्र गुरमुखराम जाति कुम्हार साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा खातेदार	2 एस आर पी एम	167/6 (18)	4/0.015 है0 पूर्वी पासा, 5/0.250 है0 , 6/0.253 है0 , 7/0.015 है0 पूर्वी पासा, 14/0.015 है0 पूर्वी पासा, 15-16/0.506 है0 , 17/0.028 है0 पूर्वी पासा =1.082 है0 अ0क0
			167/14 (17)	1/0.228 है0 दक्षिण पासा, 2/0.059 है0 पश्चिम पासा, 9/0.080 है0 पश्चिम पासा, 10-11/0.506 है0 , 12/0.080 है0 पश्चिम पासा, 19/0.080 है0 पश्चिम पासा, 20/0.253 है0 = 1.286 है0 अ0क0 कुल 2.368 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि
6	गै0मु0 रास्ता	2 एस आर पी एम	167/6 (18)	5 में 0.003 है0 (20फुट × 20फुट) उत्तर पूर्वी कोणा
			167/14 (17)	1/0.025 है0 उतर पासा, 2/0.025 है0 उतर पासा = 0.050 है0 कुल 0.053 है0 गै0मु0 रास्ता

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...x...मुबलिंग ...x...बाबतx...खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...x...फसदो की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07/10/2024 को जारी की गई ।

(संदीप कुमार)
उपसहायक अधिकारी
सूखण्ड (राज.)
(राजस्व) सूरतगढ

